न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 20/18 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00085

उनवान

1. दामोदर पुर हरीराम
2. रमाकांत } पुत्र छिद्दीराम } जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी खटनावली तहसील बयाना
3. शिवकांत } जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रोशनलाल } पुत्र रामचन्द जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी खटनावली तहसील बयाना जिला
2. परसराम } भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट।

3. लक्ष्मीकांत पुत्र छिद्दीराम जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी खटनावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दि0 25.04.2018 मि.नं. 145/17 उनवानी रोशनलाल बनाम दामोदर।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा व हेमराज शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक–28.03.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 25.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की निजी खेवट की आराजी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सवंत 2012 एवं राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 से पूर्व राजस्व रिकार्ड

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जमाबन्दी आदि कागजात पटवार में बतौर मालिक व हिस्सेदार जमींदार एवं विश्वेदार प्रार्थीगण रैस्पो0 के पिता रामचन्द एवं उनके सगे भाई चिंरजी के नाम इन्द्राज रहा है तथा प्रार्थीगण रैस्पो0 के पिता रामचन्द एवं मूल अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट के पूर्वज चिरंजी आराजी को वहिस्सा बराबर काश्त करते व काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण रैस्पो0 के पिता बहुत ही चतुर चालाक किस्म के आदमी थे। उन्होनें राजस्व कर्मचारियो से साज कर विवादित आराजी को अकेले नाम करा लिया। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रार्थीगण/रैस्पो0 विवादित आराजी में से अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट के हिस्से से इंकारी हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये मूल वाद के निर्णय तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर अप्रार्थी अपीलाण्ट यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। यह है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी के बहुत पुराने समय से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं काबिज हैं। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। विवादित आरजी पूर्व में खच्ची वगै0 के नाम खातेदारी में थी। जिस पर अपीलाण्ट ने दावा किया जो अपीलांण्ट के पक्ष में डिक्री हुआ। इस प्रकार विवादित आराजी अपीलाण्ट को डिक्री से प्राप्त हुयी है। नामान्तकरण पर डिक्री का हवाला है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी त्रुटि की है। एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने का प्रावधान है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी की विस्तार से विवेचना की जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विवादित आराजी दोनों भाईयों की खेवट की सम्मिलित आराजी थी। अपीलाण्ट ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर विवादित आराजी को अकेले नाम करा लिया। नामान्तकरण में डिक्री का इन्तकाल खारिज लिखा हुआ है। दोनों के दावे विचाराधीन हैं। दौराने वाद विवादित आराजी को

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सुरक्षित रखना आवश्यक है। उभयपक्ष को यथास्थिति से पाबन्द किया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं हैं। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। विवादित आराजी बाबत् पक्षकारों के अधिकार मूलवाद में विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरांत तय होंगें। फिलहाल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तय करते समय, हम पाते हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2003, 2007, 2011 में विवादित आराजीयात चिरंजी व रामचन्द पिसरान तुरसी के नाम दर्ज रही है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में अधिक पुष्ट होता है। वैसे भी दौराने वाद विवादित भूमि की स्थिति का परिवर्तन, वाद जटिलता एंव वाद बहुलयता को उत्पन्न करती है। अतः हमारी दृष्टि में दौराने वाद, वाद जटिलता एवं वाद बहुलता रोकने के लिए रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति निरापद होती है। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2018 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर